ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०–2/अ0प्र0–2–55/2014 963 /पटना, दिनांक :– 26.5.2020

श्री नृपेन्द्र नाथ सहाय, तदेन सहायक अभियंता के विरूद्ध ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, किशनगंज/ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोड्डा एवं अग्रिम योजना प्रमंडल, छपरा के पदस्थापन अवधि में सरकारी राशि के गबन एवं दुर्विनियोग, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, लंबित अग्रिम का समायोजन लंबित रखने तथा माननीय उच्च न्यायालय में गलत शपथ पत्र दायर करने आदि के आरोपों के लिए पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–2739 दिनांक 10.04.1999 द्वारा निलंबित करते हुए श्री सहाय के विरूद्ध उक्त आरोपों पर पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 4495 दिनांक 14.06.1999 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. श्री सहाय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5076/2005 में दिनांक 20.12.2006 को पारित आदेश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 637 दिनांक 14.01.2008 द्वारा दिनांक 21.09.2007 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया। साथ ही निलंबन अवधि का विनियमन संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अभियंताओं के संवर्ग विभाजन के पश्चात् श्री सहाय का संवर्ग प्राधिकार ग्रामीण कार्य विभाग होने के कारण पथ निर्माण विभाग द्वारा श्री सहाय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन, श्री सहाय का द्वितीय बचाव बयान मूल संचिका के साथ ग्रामीण कार्य विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु हस्तांतरित कर दी गयी।

5 ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा श्री सहाय के द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत करते हुए अधिसूचना ज्ञापांक 772 दिनांक 25.02.2016 द्वारा कालमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित की गयी है।

6. श्री सहाय दिनांक 10.04.1999 से 20.09.2007 तक निलंबित रहे हैं। श्री सहाय को जिन आरोपों के लिए निलंबित किया गया, उसी आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित कर दंड संसूचित किया गया है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री नृपेन्द्र नाथ सहाय, तदेन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के निलंबन अवधि दिनांक 10.04.1999 से 20.09.2007 को इस रूप में विनियमित किया जाता है कि आलोच्य अवधि के लिए श्री सहाय को देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी अनुमान्य नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

26/5/2020

(संजय दूबे)
सरकार के अपर सचिव

(30)

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–55/2014 963 /पटना, दिनांक :– 26.5.2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26/5/2020
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–55/2014 963 /पटना, दिनांक :– 26.5.2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/2020
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–55/2014 963 /पटना, दिनांक :– 26.5.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री नृपेन्द्र नाथ सहाय, तदेन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त। पत्राचार का पता–4/C सुन्दरीगंगा पथ, कृष्णा निकेतन रोड, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/2020.
सरकार के अपर सचिव